

17.2.25 पशावली पेशी में भी गई। अथपक्ष को  
पूर्व में ०७१॥ ५८ पर सुना जा चुका  
है। वाद पत्र में प्रा. पत्र स्वीकार किया  
जाकर हस्तगत वाद पत्र स्वारिज किया  
जाता है। विस्तृत निष्पत्ति अलग से  
लिखवाया जाकर शामिल पशावली किया  
गया। पशावली नेबर से कम की मात्रा  
काविल कपलर की जाती है।

